भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 2144

मंगलवार, 08 अगस्त, 2023/17 श्रावण, 1945 (शक)

एनपीएस की समीक्षा के लिए समिति

2144. श्री जावेद अली खान:
श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है;
(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या है;
(ग) क्या समिति ने किसी कर्मचारी संघ के साथ बैठकें की हैं और यदि हां, तो उक्त बैठकों में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं;
(घ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और वह अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगी?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) जी, हां।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

(i) सरकारी कर्मचारियों के लिए यथा लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की मौजूदा रूपरेखा और संरचना के आलोक में, क्या इसमें किसी प्रकार के बदलाव किए जाने उचित हैं;

(ii) यदि हां, तो ऐसे उपायों के बारे में सुझाव दें जो, समग्र बजटीय विस्तार पर राजकोषीय निहितार्थों और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों में सुधार के दृष्टिगत इसमें संशोधन करने के लिए उपयुक्त हों, ताकि आम नागरिकों को संरक्षण प्रदान करने हेतु राजकोषीय मितव्ययिता कायम रखी जा सके।

(ग) समिति ने राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) के स्टाफ-पक्ष के साथ बैठकें आयोजित की थीं, जहां स्टाफ-पक्ष ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े मुद्दों पर अपनी बातें रखी थीं।

(घ) से (च) समिति चर्चा की प्रक्रिया में है।

******